न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. मंजू,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 020/2023 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 22.06.2023
G.C.M.S. NO. :- 2023/147

सीमा पत्नी श्रीराम सुथार उम्र वयस्क निवासी बल्दरखा तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

1–सरकार जरिए तहसीलदार, बस्सी, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–पटवार हल्का बल्दरखा, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–श्रीराम पिता भैरू लाल सुथार उम्र वयस्क, निवासी बल्दरखा, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार बस्सी, प्रकरण संख्या 997/2023 निर्णय दिनांक 13.04.2023

उपस्थितिः–1– श्री चन्दनमल जणवा, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 020/2023 (रा. अ.)
सीमा पत्नी श्रीराम सुथार निवासी बल्दरखा, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम सरकार तहसीलदार बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 12.05.2026

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे पटवार हल्का आंवलहेड़ा द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि अतिक्रमी श्रीराम सुथार द्वारा आराजी संख्या 1661 रकबा 0.77 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर किस्म बंजड पर अनाधिकृत रूप से पशुओं का बडा बना चारों तरफ बाउण्ड्री वाल कर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिसके आधार पर नाजायज कब्जा मानते हुए राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 13.04.2026 को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं पेनल्टी लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, बस्सी से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील बस्सी के पटवार हल्का आंवलहेड़ा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि अतिक्रमी श्रीराम सुथार द्वारा राजस्व ग्राम बल्दरखा के आराजी संख्या 1661 रकबा 0.77 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर किस्म बंजड पर अनाधिकृत अतिक्रमण कर पशुओं का बडा बना चारों तरफ बाउण्ड्री वाल कर नाजायज कब्जा कर रखा है जिस पर प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया अतिक्रमी मौके पर नहीं मिलने से नोटिस की प्रति खुले मकान पर परिवार व पडौसियों के सामने चस्पा की गई तथा दिनांक 03.03.2023 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अतिक्रमी श्रीराम के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। इसके पश्चात् अतिक्रमी की पत्नी सीमा सुथार द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 पेश करने पर स्वीकार होकर प्रार्थीया/अपीलांट को पक्षकार कायम किया गया। प्रार्थीया/अपीलांट ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट/प्रार्थीया का नोहरा बना होकर मवेशी बांधने व घास-फुस रखने के उपयोग में आ रहा है विवादित स्थल ग्राम बल्दरखा की आबादी के मध्य में होकर पुरी कॉलोनी बसी हुई है जानबुझकर मात्र अपीलांट के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थीया/अपीलांट का नियमन योग्य कब्जा होकर अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय में नियमन हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति में अतिक्रमण की कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे। उसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये मनमकसूद तरीके से प्रकरण का निस्तारण कर अपीलांट को बेदखली व लगान का 50 गुणा शास्ति का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.04.2023 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से पशुओं को बांधने के लिए बाडा बनाकर चारों तरफ बाउण्ड्री वाल कर अतिक्रमण कर रखा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया। पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट के पति को सूचना पत्र जारी करने पर अपीलांट के पति द्वारा उपस्थित नहीं होने से अपीलांट के पति के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा. दी. बाबत् पक्षकार बनने हेतु पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदन स्वीकार कर अपीलांट को प्रकरण में पक्षकार कायम किया तथा साक्ष्य-सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया जिसके साक्ष्य स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट की ओर से हस्तगत प्रकरण के अधिवक्ता का अधिकार पत्र एवं उनकी ओर से पेश किया गया जवाब तथा कमीश्नर रिपोर्ट मंगाने हेतु प्रार्थना पत्र मौजूद है। अतः अपीलांट का कथन कि बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए मनमकसूद तरीके से आदेश पारित कर दिया मानने योग्य नहीं है।

अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में मौजा बल्दरखा की प्रश्नगत आराजी नम्बर 1661 रकबा 0.77 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर भूमि पर वर्तमान में उसका कब्जा होकर नोहरा बना होने, तथा पशुओं के बांधने व घास रखने में काम आने का कथन किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलांट के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

अपीलांट ने अपना कब्जा नियमन योग्य बताते हुए सक्षम न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश कर नियमन की कार्यवाही विचाराधीन होना बताते हुए अतिक्रमण की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलांट का प्रकरण नियमन योग्य होने तथा सक्षम प्राधिकारी के यहां नियमन संबंधी कार्यवाही विचाराधीन होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

पटवार हल्का आवंलहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बल्दरखा की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 1661 रकबा 0.77 हैक्टेयर किस्म बंजड़ राजकीय भूमि है जिसमें से रकबा 0.03 हैक्टैयर पर अपीलांट ने नाजायाज कब्जा कर पशुओं को बांधने के लिए बाड़ा बनाकर चारों तरफ बाउण्ड्री वाल कर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रावधित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विधिसम्मत् प्राधिकार के बिना किसी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि पर कब्जा करता है या कब्जा करना जारी रखता है, उसे अतिचारी माना जाएगा और तहसीलदार द्वारा उसके प्रस्ताव पर या किसी स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, जिसके अधीन ऐसी भूमि रखी गई है, किसी भी समय उसे वहां से सरसरी तौर पर बेदखल किया जा सकता है; और ऐसी भूमि पर खड़ी कोई फसल, या निर्मित कोई भवन या अन्य निर्माण, या जमा की गई कोई वस्तु, यदि ऐसे उचित समय के भीतर नहीं हटाई जाती, जिसे तहसीलदार समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित करे, तो राज्य को जब्त कर ली जाएगी और ऐसी किसी भी फसल के मामले में उसका निपटान उस तरीके से किया जाएगा, जिसे वह ठीक समझे और अन्य मामलों में, जैसा कलक्टर निर्देश प्रदान करे, बशर्ते कि तहसीलदार ऐसे किसी भवन या अन्य निर्माण को जब्त करने का आदेश देने के बदले में, उसके पूरे या किसी भाग को ध्वस्त करने का आदेश दे सकता है, तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती अतिचार के मामले में, उसे तहसीलदार के आदेश से, तीन माह तक की अवधि के लिए सिविल कारागार में भेजा जा सकता है। अतः भूमिधारी तहसीलदार, बस्सी द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि-सम्मत् होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

पटवार हल्का आवंलहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का ग्राम बल्दरखा की आराजी नम्बर 1661 रकबा 0.77 है. में से रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है तथा प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.2023 यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(डॉ. मंजू)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official